आदेश की सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवा बारे में टिप्पणी और तार
01.09.2020		

न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णिया

उत्पाद वाद संख्या-241/2020

राज्य

बनाम

1. अभिनेश कुमार, पिता चमन विश्वास, सा0-तरौना, वार्ड नं0-03, थाना-जलालगढ़, जिला-पूर्णिया। (जप्त मोटर साईकिल निबंधन सं0-BR11AP-1820 चेचिस सं0-MD634CE49K2G12246 इंजन संख्या-CE4GK2911636 के निबंधित स्वामी)

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। यह वाद **डगरूआ थाना कांड सं0-53/2020 दिनांक 06.04.20** के आलोक में प्रारम्भ की गई है। **पुलिस** अधीक्षक, **पूर्णिया के पत्रांक 2380/हि0शा0 दिनांक 22.06.20** द्वारा राजसात का प्रस्ताव प्राप्त है। प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **उक्त वाहन की जाँच दिनांक 06.04.20 को डगरूआ थाना अन्तर्गत टौली चौक के पास की गई।** जांच के क्रम में जप्त वाहन के पीछे **प्लास्टिक के बोरे से रॉयल स्टेग व्हिस्की का 03 बोतल (प्रति बोतल 750मि0ली0)** एवं **रॉयल स्टेग व्हिस्की का 34 बोतल (प्रति बोतल 375 मि0ली0बोतल) विदेशी शराब** पाया गया। तत्पश्चात् जप्ती सूची तैयार कर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया द्वारा बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत् जप्त वाहन को राजसात करने की अनुशंसा की गई है।

इस वाद में विपक्षी द्वारा अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 08.06.20 एवं 01.09.20 को कारणपृच्छा समर्पित किया गया। कारणपृच्छा में मुख्य रूप से उल्लेख किया गया हैं कि जप्त वाहन से कोई शराब बरामद नहीं हुआ है। दिनांक 06.04.20 को विपक्षी द्वारा टौली चौक के पास मोटर साईकिल लगा कर रखा गया था और कुछ समय के लिए अलग चले गये थे। इसी क्रम में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्लास्टिक का बैग मोटर साईकिल के साईड में रख दिया गया और उसी समय पुलिस द्वारा वाहन जप्त कर लिया गया। विपक्षी को गंदी राजनीति के तहत् फंसाया गया है। जप्त शराब से विपक्षी अनभिज्ञ हैं। विपक्षी द्वारा न तो शराब का निर्माण किया जाता है और न ही बिक्री की जाती है। डगरूआ पुलिस द्वारा गलत तरीके से वाहन जप्त कर लिया गया है। अतएव जप्त वाहन मुक्त करने की कृपा की जाए।

पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया से प्राप्त प्रस्ताव तथा अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त वाहन से अवैध शराब जप्त हुआ है तथा जप्त वाहन का उपयोग शराब के परिवहन हेतु किया गया है। विपक्षी से प्राप्त कारणपृच्छा संतोषप्रद नहीं है जिसे अस्वीकृत किया जाता है। संपूर्ण बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागु होने के बावजूद जप्त वाहन से शराब पाया जाना दण्डनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत् उक्त वाहन को राजसात किया जाना विधिसम्मत् प्रतीत होता है।

अतः मैं राहुल कुमार, भा0प्र0से0, जिला दण्डाधिकारी -सह-समाहर्त्ता, पूर्णिया इस वाद अंतर्गत **जप्त मोटर साईकिल निबंधन सं0-BR11AP-1820 चेचिस सं0-MD634CE49K2G12246 इंजन संख्या-CE4GK2911636** को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की कंडिका 58(2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजसात का आदेश देता हूँ। अधीक्षक मद्य निषेध, पूर्णिया को निदेश दिया जाता है कि उत्पाद अधिनियम एवं तत्संबंधी संगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अधीक्षक मद्य निषेध, पूर्णिया को भेजें तथा पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया को भी प्रेषित करें।

विपक्षी यदि पारित आदेश से असंतुष्ट हैं तो अपीलीय प्राधिकार उत्पाद आयुक्त, बिहार के न्यायालय में 90 (नब्बे) दिनों के अन्दर अपील दायर कर सकते हैं।

इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

01-9/20

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।